सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.11.2023

धार्मिक उन्माद फैलाने वाला आरोपी अभियुक्त गिरफ्तारः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सोशल मीडिया पर सर्तक दृष्टि रखते हुए धार्मिक उन्माद फैलाने वाले आरोपी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने वाले आरोपी अभियुक्त भवानी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 04.11.2023 को ग्राम बेलवा बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा बहुजन पुर्नजागरण जनसभा का आयोजन का आयोजन हुआ था। जिसमें सनातन धर्म को लक्ष्य बनाकर अभद्र शब्दो का सम्बोधन हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

01. भवानी प्रसाद पुत्र मोतीलाल नि0 कलई पुरवा मौजा बेलवा बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः–

01. मु0अ0सं0–357/23, धारा 295ए भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीमः–

थानाध्यक्ष कौड़िया योगेश प्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.11.2023

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त व 03 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार, 20 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, नौसादर, यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अपने थाना क्षेत्र के ग्राम खटकहिया अमवा में दबिश देकर अभियुक्त झगरू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, यूरिया व नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया तथा ग्राम महुआ खाली में दबिश देकर 03 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, यूरिया, नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ताओं के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01.झगरू पुत्र प्रहलाद नि0 खटकहिया अमवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. बड़का पत्नी ज्ञानप्रकाश सोनकर नि0 महुवा खाली अम्बरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. रमरता पत्नी बाबू लाल सोनकर नि0 महुवा खाली अम्बरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
04. गीता पत्नी टीटू नि0 महुवा खाली अम्बरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–602/23, धारा 272 भादवि व 60/60(2) आबकारी अधि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–603/23, धारा 272 भादवि व 60/60(2) आबकारी अधि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 20 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब।
02. 700 ग्राम यूरिया व 350 ग्राम नौसादर।
03. शराब बनाने के उपकरण।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 अरविन्द्र कुमार मय टीम।
उ0नि0 अखिलेश राही मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.11.2023

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 09 माह का सश्रम कारावास व रूपए 10,000 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 09 माह का सश्रम कारावास व रु0 10,000 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0 नगर पुलिस ने दिनांक 09.12.2022 को नशीली गोलियों के साथ अभियुक्त नफीस को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 नगर के पैरोकार का0 विश्वास कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश स्वापक औषध एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधि0 गोण्डा ने 09 माह सश्रम कारावास व रू 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. नफीस पुत्र नानबाबू नि0 सुभाषनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–906/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.11.2023

'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 09 माह का सश्रम कारावास व रूपए 8,000 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 09 माह का सश्रम कारावास व रु0 8,000 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना करनैलगंज पुलिस अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त कबीर अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैगलंज के पैरोकार हेड0 का0 दीनबंधु दुबे के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 कोर्ट गोण्डा ने 09 माह का सश्रम कारावास व रू 8,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. कबीर अली पुत्र अहमद अली नि0 मोहल्ला गड़ी बाजार थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–44/14, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेसनोट</u>
<u>मीडिया सेल गोण्डा</u>
<u>दिनांक 09.11.2023</u>

इटियाथोक पुलिस ने लावारिस मिले बच्चे को उसके परिजनों से मिलाया–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा समय–समय पर गोष्ठी कर पुलिस कर्मियो को मित्र पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने तथा जनमानस की समस्याओं को सुन त्वरित कार्यवाही करते हुए गुणवत्तापूर्ण समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इन्ही दिशा निर्देशों के क्रम में थाना इटियाथोक पुलिस को लावारिस मिले बच्चे को उसके परिजनों से मिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 09.11.2023 को थाना प्र0नि0 इटियाथोक को जरिए दूरभाष सूचना मिली की ग्राम मुंडेरवा माफी में एक बच्चा लावारिस दशा में मिला है। सूचना पर उसी क्षेत्र में भ्रमण शील आरक्षी अजय कुमार द्वारा तत्काल मौके पर पहुॅचकर अपने अभिरक्षा में लिया गया तथा थाना क्षेत्र के डिजिटल वालेंटियर्स ग्रुप की मदद से उसके परिजनों को खोजकर बच्चे की मां को सुपुर्द किया गया। बच्चे को पाकर मां द्वारा गोण्डा पुलिस की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.11.2023

अवैध रूप से लकड़ी का व्यापार करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 29 अदद बोटा सागौन की लकड़ी मय 01 अदद ट्रैक्टर–ट्राली बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध रुप से लकड़ी का व्यापार करने/काटने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर रेवारी पंचायत भवन के पास से अवैध रुप से लकड़ी का व्यापार करने के आरोपी अभियुक्त राजा भईया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 29 अदद बोटा सागौन की लकड़ी मय 01 अदद ट्रैक्टर–ट्राली बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 करनैलगंज में गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजा भईया सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह नि0 ग्राम आतरसुईया थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–643/23, धारा 4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 29 बोटा सागौन की लकड़ी।
02. 01 अदद ट्रैक्टर–ट्राली

गिरफ्तारकर्ता टीम–

व0उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्र मय टीम।